न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्राप्त्र संख्या–23/2021
प्राप्त्र प्रविष्टि दिनांक–11.08.2021
निर्णय दिनांक–12.03.2022

द्वारिका पुत्री बजरंगा पत्नि पारसमल जाति बैरवा नि0 ग्राम प्यावड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक

प्रार्थीया

बनाम

1. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. पटवारी हल्का प्यावड़ी तह0 पीपलू

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि खाता संख्या 413 जमाबंदी संवत् 2072–75 में अंकित भूमि आराजी ख0न0 286 रकबा 0.5058 हैक्ट0 में प्रार्थिया का हिस्सा 1/32 व खाता संख्या 414 जमाबंदी संवत् 2072–75 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 1014 रकबा 0.0126 हैक्ट., ख0न0 1015 रकबा 0.8852 हैक्ट., ख0न0 223/1 रकबा 1.4542 हैक्ट., ख0न0 236 रकबा 0.7208 हैक्ट. कुल किता 04 कुल रकबा 3.0728 हैक्ट. वाके ग्राम प्यावडी पटवार हल्का प्यावडी में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया सह खातेदार व काश्तकार है। जिसमें प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा है। प्रार्थीया का सही नाम द्वारिका पुत्री बजरंगा बैरवा है तथा नामान्तकरण भरते समय राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा जमाबंदी में नोट लगाते समय प्रार्थिया द्वारिका पुत्री बजरंगा के स्थान पर ममता पुत्री बजरंगा बैरवा अंकित कर दिया गया जो गलत है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदिका आवेदन स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 413, 414 के ग्राम प्यावडी पटवार हल्का प्यावडी में स्थित आराजीयात में प्रार्थीया का गलत नाम ममता पुत्री बजरंगा जाति बैरवा दर्ज है, के स्थान पर शुद्ध नाम द्वारिका पुत्री बजरंगा जाति बैरवा दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार, पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, पीपलू ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 413 जमाबंदी संवत् 2072–75 में अंकित भूमि आराजी ख0न0 286 रकबा 0.5058 हैक्ट0 हिस्सा 1/32 व खाता संख्या 414 जमाबंदी संवत् 2072–75 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 1014 रकबा 0.0126 हैक्ट., ख0न0

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

1015 रकबा 0.8852 हैक्ट., ख0न0 223/1 रकबा 1.4542 हैक्ट., ख0न0 236 रकबा 0.7208 हैक्ट. कुल किता 04 कुल रकबा 3.0728 हैक्ट. वाके ग्राम प्यावडी पटवार हल्का प्यावडी में प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा है। जिसमें प्रार्थीया सह खातेदार व काश्तकार हैं। प्रार्थिया का शुद्ध नाम द्वारिका पुत्री बजरंगा जाति बैरवा हैं तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया का नाम ममता पुत्री बजरंगा अंकित हैं। प्रार्थिया के समस्त दस्तावेज, पहचान पत्र, राशनकार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक डायरी की छाया प्रति में द्वारिका दर्ज है। उक्त दस्तावेज के अनुसार प्रार्थिया ममता पुत्री बजरंगा के स्थान पर द्वारिका पुत्री बजरंगा शुद्ध किया जाना उचित हैं।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 286 रकबा 0.5058 हैक्ट0 में प्रार्थिया का हिस्सा 1/32 भूमि आराजी ख0न0 1014 रकबा 0.0126 हैक्ट., ख0न0 1015 रकबा 0.8852 हैक्ट., ख0न0 223/1 रकबा 1.4542 हैक्ट., ख0न0 236 रकबा 0.7208 हैक्ट. कुल किता 04 कुल रकबा 3.0728 हैक्ट. वाके ग्राम प्यावडी में प्रार्थीया सह खातेदार व काश्तकार है। प्रार्थीया का शुद्ध नाम द्वारिका पुत्री बजरंगा बैरवा हैं लेकिन विरासत का नामान्तकरण भरते समय राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा जमाबंदी में नोट लगाते समय प्रार्थिया द्वारिका पुत्री बजरंगा के स्थान पर ममता पुत्री बजरंगा बैरवा अंकित कर दिया गया जो गलत है। उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का गलत नाम ममता पुत्री बजरंगा जाति बैरवा दर्ज है, के स्थान पर शुद्ध नाम द्वारिका पुत्री बजरंगा जाति बैरवा दर्ज किया जावें।

प्रार्थिया ने अपने प्रा0पत्र के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत प्यावडी का प्रमाण पत्र दिनांक 19.08.2021 प्रस्तुत किया। मुताबिक ग्राम पंचायत प्यावडी के प्रमाण पत्र अनुसार ममता उर्फ द्वारिका पुत्री बजरंगा पत्नि पारसमल जाति बैरवा निवासी प्यावडी हाल निवासी ग्राम हाडीकलां तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) का स्थायी मूल निवासी है। मै प्रार्थिया को जानता व पहचानता हूँ जो कि ममता व द्वारिका दोनो एक ही महिला का नाम है। गांव में इसे दोनो ही नामों से जाना व पहचाना जाता है। ग्राम प्यावडी में आवेदिका का नाम ममता दर्ज हैं जबकि ससुराल पक्ष के सभी दस्तावेजों जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी आदि सभी दस्तावेजों में द्वारिका नाम दर्ज है। इस नाम की गांव में अन्य कोई महिला नहीं हैं। उक्त प्रमाण पत्र आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मुहर द्वारा जारी किया गया हैं।

हमने पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों यथा ग्राम पंचायत प्यावड़ी के प्रमाण पत्र, मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, राशनकार्ड व अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थिया का शुद्ध नाम द्वारिका पुत्री बजरंगा पत्नि पारसमल जाति बैरवा निवासी ग्राम प्यावडी हाल निवासी ग्राम हाडीकलां तह0 पीपलू है। खाता संख्या 413 जमाबंदी संवत् 2072–75 में अंकित भूमि आराजी ख0न0 286 रकबा 0.5058 हैक्ट0 हिस्सा 1/32 व खाता संख्या 414 जमाबंदी संवत् 2072–75 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 1014 रकबा 0.0126 हैक्ट., ख0न0 1015 रकबा 0.8852 हैक्ट., ख0न0 223/1 रकबा 1.4542 हैक्ट., ख0न0 236 रकबा 0.7208 हैक्ट. कुल किता 04 कुल रकबा

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

3.0728 हैक्ट. हिस्सा 1/8 वाके ग्राम प्यावडी पटवार हल्का प्यावडी में प्रार्थीया का नाम ममता पुत्री बजरंगा दर्ज है। जो त्रुटीपूर्ण है। अतः त्रुटीपूर्ण प्रार्थिया का उक्त वर्णित आराजीयात में जो त्रुटीपूर्ण नाम ममता पुत्री बजरंगा दर्ज है। उसके स्थान पर द्वारिका पुत्री बजरंगा धर्मपत्नि पारसमल जाति बैरवा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

उप खण्ड अधिकारी
(रुचि शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीपलू (टोंक)
जिला टोंक (राज०)

Scanned with CamScanner